



घोषणा

(जैवविविधता अधिनियम 2002 की धारा 3(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत)

जैवविविधता अधिनियम 2002 की धारा 3(2) के अंतर्गत हमें निम्न प्रावधानों की जानकारी है:—
धारा 3(2)—वे व्यक्ति जिनसे उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण का अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा, निम्नलिखित है, अर्थात :-

(क) वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है।

(ख) भारत का ऐसा नागरिक जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 के खंड (30) में परिभाषित अनिवासी है।

(ग) ऐसा निगमित निकाय, संगम या संगठन जो—

(i) भारत में निगमित या रजिस्ट्रीकृत नहीं है या :

(ii) तत्समय प्रवृत्त किसी विवि के अधीन भारत में निगमित या रजिस्ट्रीकृत है, जिससे उसकी शेयर पूंजी या प्रबंध में कोई गैर भारतीय भागीदारी है।

अतः इस सम्बंध में, हम निम्न घोषणा प्रस्तुत करते हैं कि :

हम/हमारी संस्था जैवविविधता अधिनियम 2002 की धारा 3(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत आते हैं/नहीं आते हैं। (पात्रता अनुसार चिन्हित (V) करें)

| | |
|---------|---|
| दिनांक: | |
| स्थान : | आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर/प्राधिकृत अधिकारी ** |
| | पता: |
| | मुद्रा: |

**यदि आप प्राधिकृत अधिकारी हो तो मुख्तारी अधिकार (Power of attorney in original) की मूल प्रति उपलब्ध करायें।

प्रति,
सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड
26, किसान भवन,
प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011